न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 14/18

1. श्री नारायण आत्मज गोविन्द लाल जाति तेली ।
2. शिवदयाल आत्मज श्री नारायण जाति तेली ।
3. श्रवण आत्मज श्री नारायण जाति तेली ।
4. शम्भू आत्मज श्री नारायण जाति तेली ।
5. देवलाल आत्मज श्री नारायण जाति तेली निवासीगण ग्राम बॉसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

यशोदा पालीवाल पत्नी मनोज पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बॉसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 यशोदा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बॉसी तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 2595 रकबा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2606 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा कुल 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थिया उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे हैं और प्रार्थिया को उसके खातेदारी की भूमि से बेदखल कर स्वयं अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थिया का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी उसके पक्ष में है ।

3. अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने वाद प्रार्थिक के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, उक्त भूमि से प्रार्थिया को बेदखल नहीं करे, प्रार्थिया की फसल को नष्ट भ्रष्ट नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2013 के द्वारा प्रार्थिया यशोदा पालीवाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2013 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर उक्त अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में विधिक त्रुटि की है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रहन इकरारनामा प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में अंकित किया है कि इकरारनामे में खसरा नम्बर अंकित नहीं है जो उचित नहीं है क्योंकि रहन की भूमि वाले खेत का नाम व रहन की भूमि की चतुर्थ सीमा अंकित होने से रहन की गई भूमि का विवादित होना साबित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण साबित नहीं था तथा सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजी मोहन लाल से क्रय की थी परन्तु वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा नहीं है यह आराजी पूर्व खातेदारान ने अपीलान्ट क्रम 2 व 3 से 87001/– रूपये उधार लिये और दिनांक 07.07.2004 को उक्त भूमि रहन रखी थी और कब्जा संभलाया था । रहन के बाबत एक तहरीर निष्पादित की गई थी जिस तहरीर पर खातेदारान शम्भूदयाल व अशोक ने हस्ताक्षर किये थे । बिना रहन मुक्त कराये वादग्रस्त आराजी 7–8 महिने पहले प्रार्थिया को विक्रय की है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट को पाबन्द किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर अपीलान्टगण का रहन बाबत् कथन स्वीकार नहीं किया है कि रहन के दस्तावेज में खसरा नम्बर अंकित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068 –71 खाता संख्या 602 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1795 दिनांक 20.10.2012 से खसरा नम्बर 2595, 2606 कुल रकबा 5.09 बीघा पर केता प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार काबिज काश्त होने का कथन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में खातेदारान से वर्ष 2004 में उनके पक्ष में रहन रख कर कब्जा संभलाया था । इस बाबत् अपीलान्टगण के द्वारा दो तहरीर की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की हैं जो अपंजीकृत हैं । हमने इन तहरीरों का अवलोकन किया । इन तहरीरों में से एक तहरीर मदन लाल जो कि पूर्व खातेदार हैं उनके द्वारा निष्पादित किया जाना अंकित किया गया है । दूसरी तहरीर अपीलान्ट कम 2 व 3 व मदनलाल पूर्व खातेदार द्वारा निष्पादित की गई है जिसमें 87001/– रूपया उधार लेना और उसकी एवज में 06 बीघा भूमि गिरवी रखना अंकित किया गया है । पूर्व खातेदारान के खातेदारी में कुल 07 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी जिसमें से 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया ने कय की थी । रहन कौन सी भूमि को रखा गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौनसी 06 बीघा भूमि को गिरवी रखा गया है । यहॉ यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार रहन 05 वर्ष के लिए ही प्रभावी है । तद्नुसार वर्ष 2004 को निष्पादित इस दस्तावेज के आधार पर अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं माना जा सकता । रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की विधिक खातेदार कृषक है । अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी पर काबिज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अपीलान्टगण ने इन तहरीरों के अलावा वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रत्यार्थीगण को तलब करने पर उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत का